फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :— रामचन्द्र　　　　　　　　　　　विपक्षी :— बाबरीया उर्फ बाबरू

किस्म मुकदमा — विविध आ. 9 नि. 4 जा.दी.　　　　पत्रावली संख्या : 46/23

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 20.07.2023

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी श्री पन्नालाल मारू द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. का व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश करने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सूनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता पेशी दिनांक 25.08.2022 को अन्य न्यायालय में प्रकरण की पेरवी करने में व्यस्त होने के कारण इस प्रकरण में आवाज पडनें के समय उपस्थित नहीं हो पायें जिससे प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हो गया। वादी स्वयं को अग्रीम पेशी का ज्ञान नहीं होने से उक्त दिवस को उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी द्वारा जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र पेश किया जाना बताया जो अन्दर मयाद होना बताकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नंबर पर लिये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 03/21 अनवान रामचन्द्र बनाम बाबरीया उर्फ बाबरू दिनांक 25.08.2022 को वादी मय अधिवक्ता वादी द्वारा अनुपस्थित रहने पर अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से मयाद को कण्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/ वादी दिनांक 25.08.2022 को अनुपस्थित रहा जो की प्रार्थी/ वादी की लापरवाही का घोतक है। वादी को अपनी पेशी दिनांक के प्रति सजग रहना चाहिए। वाद प्रस्तुत करने पश्चात् अधिवक्ता से संपर्क बनाये रख कर वाद में पेशी व कार्यवाही की जानकारी लेनी चाहिये। चूंकि प्रकरण में वादी का वाद साक्ष्य वादी में चल रहा है जिससे वादी को सुनकर गुणानगुण के आधार पर तय किया जाना आवश्यक है। प्रकरण पुराना होकर कृषि भूमि से सम्बन्धित होने से प्रार्थी/वादी को सुना जाना आवश्यक हैं। अतः वाद में प्रार्थी/वादी का हित निहित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 03/21 अनवान रामचन्द्र बनाम बाबरीया उर्फ बाबरू में आदेश दिनांक 25.08.2022 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को नम्बर पर लिया [illegible] का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.28 14:47:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।